


बटवारे २०० पत्रावली १५००० १५/०८/२०२१

61


दावा संख्या 127 / 2020
कानाराम वगै० बनाम अन्जु देवी वगै०

13/10/2023
पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्ष उपस्थित। आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं. 28 एवं विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्षों का सुना गया। वकील वादीगण का कथन है कि हमारा दावा बटवारे का है प्राथमिक डिक्री दिनांक 10.08.2021 अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार खातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन किया जाकर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तावित किया है। अतः विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी कर दिया जावे। वकील प्रतिवादी सं. 28 ने कथन किया कि एक


राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

अज अदालत मुकाम

..... बनाम


किस्म मुकदमा नम्बर

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
------------	-----------------------------------

ही उनवान के दो दावे अलग अलग भूमियों के चल रहे है। इस कारण सहवन से आपत्ति प्रार्थना पत्र इस दावें में पेश हुआ है। विभाजन प्रस्ताव पर हमे कोई आपत्ति नही है। शेष प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने भी विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा एफ.डी. किये जाने पर सहमति जाहिर की। वकूलाय उभय पक्षों को सुनने व पत्रावली एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने के पश्चात दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव के अन्तिम रूप से डिकी किया जाना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना के पत्रांक 77/भूअ./2022 दिनांक 05.01.2022 द्वारा प्रस्तावितानुसार अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव अनुसार पृथक पृथक काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। विभाजन प्रस्ताव मय नक्शा डिकी का भाग समझा जावे। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु पर्चा डिकी मुर्तीव हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.02.2021 को खुले न्यायालय में रूबरू वकूलाय उभय पक्ष सुनाया गया।



(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना
राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

